भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2628
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा स्थलों पर एनएमएमएस ऐप

2628. श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री बिभु प्रसाद तराई

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्यस्थलों, जहाँ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए , के चयन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्तमान में एनएमएमएस उपस्थिति मानदंडों का अनुपालन करने वाले मनरेगा कार्यस्थलों की कुल संख्या कितनी है और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में नवीनतम पाक्षिक अनुपालन दरें राज्यवार क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय, विशेषकर सुदूर या अल्प संपर्क वाले क्षेत्रों में एनएमएमएस कार्यान्वयन में आने वाली तकनीकी या परिचालन समस्याओं से अवगत है;

(घ) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा ऐसे क्षेत्रों में एनएमएमएस ऐप के निर्बाध संचालन और कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही छूट या वैकल्पिक पद्धतियों के लिए क्या प्रावधान हैं; और

(ङ) इन चुनौतियों से प्रभावित कार्यस्थलों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है तथा महाराष्ट्र में और विशेषकर जलगाँव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण भागों में तथा राज्य-वार इनके समाधान की स्थिति क्या है?

उत्तर प्रदेश
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2023

से व्यक्तिगत लाभार्थी श्रेणी के कार्यों को छोड़कर , सभी कार्यस्थलों की उपस्थिति को राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से दर्ज करने का अधिदेश दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर उपस्थिति एनएमएमएस ऐप के माध्यम से एक दिन में श्रमिकों की दो टाइम-स्टैम्प्ड, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ दर्ज की जाए।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले और दूसरे पखवाड़े (31.07.2025 तक) के दौरान पात्र कार्यों और एनएमएमएस ऐप के उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली किसी भी समस्या को मंत्रालय के समक्ष तत्काल आधार पर उठाया जाता है , जो समयबद्ध तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करता है। राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर, इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें निरंतर विभिन्न सुधार किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं: पलक झपकने और सिर गिनने की सुविधा , मेट-आईडी मैपिंग, विभिन्न स्तरों पर तस्वीरों का सत्यापन आदि।

एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं हो पा रही है , तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड क्षेत्र में आने पर उसे अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में , जिनके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाती है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर छूट का प्रावधान भी मौजूद है , जिसे अब ब्लॉक स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

एनएमएमएस एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस एप्लिकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी मदद करता है क्योंकि वेतन सूची और एफटीओ उसी दिन तैयार किए जा सकते हैं जिस दिन उपस्थिति दर्ज की गई हो।इससे पहले वाली मैन्युअल उपस्थिति प्रणाली के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता था।

(ङ): नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार , महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं देखी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र -वार (महाराष्ट्र सहित) ब्यौरा, जो अन्यथा एनएमएमएस-आधारित उपस्थिति के लिए पात्र हैं , लेकिन उन्होंने इससे छूट का दावा किया है (और इसलिए उनकी उपस्थिति वैकल्पिक मोड में दर्ज की गई थी) अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.07.2025 तक) के दौरान पहले और दूसरे पखवाड़े के दौरान पात्र कार्यों और एनएमएमएस ऐप के उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण					
क्र.सं.	राज्य	पहला पखवाड़ा		दूसरा पखवाड़ा	
		पात्र कार्यों की संख्या	एनएमएमएस ऐप के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज कार्यों की संख्या।	पात्र लोगों की संख्या	एनएमएमएस ऐप के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज कार्यों की संख्या।
1	आंध्र प्रदेश	169428	166934	164320	160238
2	अरुणाचल प्रदेश	868	37	983	43
3	असम	20052	18470	20116	18278
4	बिहार	147216	142482	207774	198954
5	छत्तीसगढ़	19689	19434	20048	19428
6	गोवा	272	0	213	0
7	गुजरात	17246	16854	16976	16375
8	हरियाणा	4958	4755	5224	5016
9	हिमाचल प्रदेश	16567	16260	17815	17003
10	जम्मू और कश्मीर	28937	27716	41882	39201
11	झारखंड	5167	4567	5017	4418
12	कर्नाटक	72853	72508	69597	67898
13	केरल	71208	67671	76465	71962
14	लद्दाख	498	337	491	319
15	मध्य प्रदेश	82609	71188	86806	72290
16	महाराष्ट्र	28980	28473	32015	31038
17	मणिपुर	2281	2110	2765	2466
18	मेघालय	5185	4126	6526	5312
19	मिजोरम	390	323	2196	1838
20	नागालैंड	1578	1209	1752	1278
21	ओडिशा	64581	59723	64952	58825

22	पंजाब	56667	55823	47311	46408
23	राजस्थान	105456	104703	116048	113102
24	सिक्किम	469	337	438	309
25	तमिलनाडु	88084	87091	100216	95786
26	तेलंगाना	114955	110764	108341	103591
27	त्रिपुरा	3992	3906	4590	4461
28	उत्तर प्रदेश	227131	214730	223967	206898
29	उत्तराखंड	11790	11158	12123	11167
30	अंडमान और निकोबार	33	17	35	18
31	पुदुचेरी	486	479	596	592
	कुल	1369626	1314185	1457598	1374512

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।।

क्र.सं.	राज्य	उपस्थिति के लिए कुल पात्र कार्य	उपस्थिति के लिए कुल पात्र दिन	डिवाइस काम नहीं कर रहा है		नेटवर्क उपलब्ध नहीं है		छूट वाले कुल कार्य	छूट वाले कुल दिन	छूट वाले कार्यों का %	छूट वाले दिनों का %
				कार्यों की संख्या	दिनों की संख्या	कार्यों की संख्या	दिनों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	333749	130671020	14701	103525	5054	52063	19755	155588	5.92	0.12
2	अरुणाचल प्रदेश	1877	1390029	473	7876	617	13146	1090	21022	58.07	1.51
3	असम	40289	11826959	874	9388	655	14678	1529	24066	3.8	0.2
4	बिहार	355008	94357957	8342	141856	836	12125	9178	153981	2.59	0.16
5	छतीसगढ	39844	15478460	62	707	216	3850	278	4557	0.7	0.03
6	गोवा	499	39124	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	34666	9823130	1834	25546	639	10150	2473	35696	7.13	0.36
8	हरियाणा	10266	4032123	471	5339	67	849	538	6188	5.24	0.15
9	हिमाचल प्रदेश	34423	3382909	350	3861	171	2584	521	6445	1.51	0.19
10	जम्मू और कश्मीर	71712	8673933	695	12525	474	8980	1169	21505	1.63	0.25
11	झारखंड	10214	1163908	1106	10938	204	1671	1310	12609	12.83	1.08
12	कर्नाटक	143540	42581279	357	4774	87	883	444	5657	0.31	0.01
13	केरल	149227	25468101	19142	148022	2671	21291	21813	169313	14.62	0.66
14	लद्दाख	969	207587	76	1061	123	2740	199	3801	20.54	1.83
15	मध्य	169794	30930947	1384	144336	3840	34998	17685	179334	10.42	0.5

	प्रदेश			5							8
16	महाराष्ट्र	61584	13559279	379	4419	112	1601	491	6020	0.8	0.04
17	मणिपुर	5133	3793038	156	472	54	333	210	805	4.09	0.02
18	मेघालय	11876	5603102	1502	26823	1187	20949	2689	47772	22.64	0.85
19	मिजोरम	2636	2582983	584	3384	538	3740	1122	7124	42.56	0.28
20	नागालैंड	3332	4188811	642	5009	613	4901	1255	9910	37.67	0.24
21	ओडिशा	130850	38269133	10285	152944	1631	23814	11916	176758	9.11	0.46
22	पंजाब	104391	15457390	702	7033	82	814	784	7847	0.75	0.05
23	राजस्थान	230137	88586392	162	1756	87	1735	249	3491	0.11	0
24	सिक्किम	903	213660	181	3010	39	895	220	3905	24.36	1.83
25	तमिलनाडु	189056	42631952	1943	14375	1189	9019	3132	23394	1.66	0.05
26	तेलंगाना	224532	36875251	14349	267393	2684	38100	17033	305493	7.59	0.83
27	त्रिपुरा	8657	2977096	536	3682	245	1323	781	5005	9.02	0.17
28	उत्तर प्रदेश	451098	120505145	1100	11934	510	5075	1610	17009	0.36	0.01
29	उत्तराखंड	23946	2631330	1197	18718	658	9867	1855	28585	7.75	1.09
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	अंडमान और निकोबार	69	7248	13	197	14	301	27	498	39.13	6.87
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	98	535	0	0	98	535	0	0

33	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	पुदुचेरी	1083	918771	44	162	19	47	63	209	5.82	0.02
	कुल	2845360	758828047	96201	1141600	25316	302522	121517	1444122	4.27	0.19

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)